503/16/223

तारीख पेशी	बनाम 2016/00503 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

पेट्रिक बनाम सरकार

28.9.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील निर्णय हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस दिनांक 14.09.2018 को सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.06.2015 को वाद पत्र का निस्तारण कैम्प कोर्ट में कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई क्योंकि अपीलांट को कैम्प कोर्ट बाबत् नोटिस प्राप्त नही हुए। जब दावे के निर्णय की जानकारी हुई तब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय प्रति प्राप्त कर अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। जो जानकारी से अन्दर मियाद हैं इसलिए अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

तत्पश्चात अपीलांट ने अपील बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद धारा 88,188, 91, 92ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम वादग्रस्त आराजीयात वादी की आवंटनशुदा भूमि ग्राम आशापुरा तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 355 मिन रकबा 0.26 के हाल खसरा नम्बर 451 रकबा 0.26, 355/1 रकबा 1.01के हाल खसरा नम्बर 443/817 रकबा 1.01, खसरा नम्बर 355/2 मिन रकबा 1.01 के हाल खसरा नम्बर 443 रकबा 1.01, 355/3 मिन रकबा 0.32 के हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 0.32, खसरा नम्बर 355/3 मिन रकबा 0.29 के हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 0.29, खसरा नम्बर 355/3 मिन रकबा 0.19 के हाल खसरा नम्बर 445 रकबा 0.19, 355/3 मिन रकबा 0.21 के हाल खसरा नम्बर 446 रकबा 0.21, 355/4 मिन रकबा 0.42 के हाल खसरा नम्बर 439 रकबा 0.42, खसरा नम्बर 355/4 मिन रकबा 1.19 के हाल खसरा नम्बर 440 रकबा 1.19, 355/4 मिन रकबा 1.75 के खसरा नम्बर 441 रकबा 1.75, खसरा नम्बर 355/5 रकबा 0.38 के नये 447 रकबा 0.38, खसरा नम्बर 355/5 मिन रकबा 0.38 के नये खसरा नम्बर 448 रकबा 0.38, खसरा नम्बर 355/5 रकबा 0.25 के नये खसरा नम्बर 450 रकबा 0.25 बने है। उपरोक्त आरातिया वर्किंग खसरा नम्बर 355 में से रकबा 23–17–00 बीघा वादी पैट्रिक पुत्र जोर्ज को दिनांक 16.11.1971 को आवंटन कमेटी द्वारा किया गया तथा भूमि का आवटंन के समय से वादी का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा हैं। बन्दोबस्त विभाव व राजस्व अधिकारियों द्वारा वादी का नाम खातेदारी के रूप में अंकन नहीं किया गया जबकि वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटितशुदा भूमि हैं तथा उपरोक्त भूमि वादी पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चला आ रहा हैं। बन्दोबस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तारीख पेशी	बनाम 2016/00503 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीताराम रावत श्री राजकीय अभिभाषक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

लगातार

विभाग व राजस्व विभाग के द्वारा आवंटित भूमि को सहवन से सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिस बाबत् पटवारी हल्का द्वारा 91 भू–राजस्व अधि. के तहत् नोटिस जारी कर बेदखल करने की धमकी दी, इसलिए वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने की आश्यकता हुई। उपरोक्त विवादित भूमि को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार मे दर्ज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को वादी को बिना नोटिस दिये ही एवं बिना सुनवाई किये कैम्प लवेरा में दिनांक 08.05.2012 को खारिज कर दिया। जिसे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने आंगे बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया गया तथा ना ही वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया तथा मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई एवं केवल मात्र कैम्प में बिना मौके पर गये तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण को समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण हैं। विवादित भूमि वादी को आवंटित की गई हैं जो आवंटन से पूर्व से काबिज काश्त में चली आ रही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 09.06.2015 को निरस्त किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का स्वीकार किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजंकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज हैं एवं वादी को अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया है किन्तु वादी द्वारा वाद का साबित करने में असफल रहें इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के वाद को खारिज किया गया।

सर्व प्रथम प्रार्थनां पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अभिभाषकगण की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का राजकीय अभिभाषक ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण संतोष प्रद हैं एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

तत्पश्चात अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	द्वारा निरस्त की गई वे आधार यथा विवादित खसरा नम्बरान से सम्बन्धित साबिक खसरा नम्बर व हाल रेकार्ड की प्रमाणित राजस्व अभिलेख प्रति, मिलान क्षैत्रफल आदि न्यायालय हाजा में भी प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं ना ही विवादित आराजी पर अपना कब्जा होना बताया हैं। इस प्रकार अपीलांट अपने अपील को स्वीकार करने के क्रम में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने से अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य हैं। **अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2015 वाद संख्या 128/2012 यथावत् रखे जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**	